फर्द अहकाम

न्यायालय ______

गोमा बनाम श्रीनारायण वगै.

मुकदमा संख्या /वर्ष दावा : 163 /2017

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/3/2022	पत्रावली पेश हुई। व० फ० उप०। उभयपक्ष अधिवक्तागण की कुरेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने मौखिक आपत्ति जाहिर कि प्रतिवादी को आगे की ओर (front) पर जमीन कम मिली है तथा वादी को अधिक दी गई है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1.4.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	1.4.2022	पत्रावली पेश हुई। व० फ० उप०। कुरेजात रिपोर्ट व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि आपत्तिकर्ता का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार आगे की ओर (front) पर जमीन दी गई है, साथ ही कुरेजात रिपोर्ट पूर्व में भी प्रतिवादी की आपत्ति पर सुनकर ही पुनः कुरेजात रिपोर्ट मंगवाई गई है, जिसमें [illegible] के बिन्दुओं को [illegible] कुरेजात रिपोर्ट सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

163/2017 दावा गोमा बनाम श्रीनारायण वगै०

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	तहसीलदार आमेर से मंगवाई गई है। इसलिए आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अतः तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री किया जाता है। निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 163/2017 वाद प्रस्तुति दिनाक : 26.12.2017

1. गोमा पुत्र श्री कृष्ण
2. सीताराम पुत्र श्री कृष्ण

समस्त जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

––– वादीगण

बनाम

1. श्रीनारायण पुत्र कानाराम
2. सीताराम पुत्र कानाराम
3. भगवान सहाय पुत्र देवा (मृतक दौराने वाद)

3/1 मु0 सोनी देवी पत्नी भगवान सहाय

3/2 सुरेश कुमार पुत्र स्व0 भगवान सहाय

3/3 लालचन्द पुत्र स्व0 भगवान सहाय

समस्त जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

3/4 विमला देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी सुरेश कुमार

3/5 मन्नी देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी लालचन्द

समस्त जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम राधापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

3/6 ममता देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी मोहन लाल जाति बागडा ब्रह्मण निवासी प्लॉट नं. ए–8,सन्त बन्धु नगर, अल्का सिनेमा के पास सीकर रोड जयपुर

3/7 हंसा देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी राजकुमार जाति बागडा ब्रह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. श्रीमति भगवती पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद
5. बनवारी पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद
6. राकेश पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

7. श्रीमति ललिता धर्मपत्नी सुरेश पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्रह्मण हाल निवासी प्रताप नगर चौराहा सिन्धू नगर मुरलीपुरा जयपुर
8. हनुमान सहाय पुत्र देवा
9. सुख देव पुत्र देवा
10. मंगली देवी बेवा मंगलचन्द
11. नीमू उम्र 19 वर्ष पुत्री स्व0 मंगलचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

12. पन्ना पुत्र कानाराम
13. श्यामलाल पुत्र कानाराम
14. मोहन लाल पुत्र कानाराम

समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जयपुर।

---प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा –53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. गोमा पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/2 सीताराम पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/2 जाति बागडा ब्रह्मण सा.देह राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा राधाकिशनपुरा मुर्त के हिस्से में खसरा नम्बर 476/1 रकबा 0.8660 हैकटेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.8660 हैक्टेयर रहेगा जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
2. सीताराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/5 श्रीनारायण पुत्र कानाराम हिस्सा 1/5 राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा राधाकिशनपुरा श्यामलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/5 मोहनलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/5 पन्ना पुत्र कानाराम हिस्सा 1/5 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 476/2 रकबा 1.2300 हैक्टेयर व 475/583/1 रकबा 0.0700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.300 हैक्टेयर रहेगा जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
3. मुकेश पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/10 सुरेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/10 हनुमान सहाय पुत्र देवा हिस्सा 1/5 सुखदेव पुत्र देवा हिस्सा 1/5 राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा राधाकिशनपुरा, मुंगली देवी पत्नी मंगल चन्द हिस्सा 1/10, नीमू उर्फ निर्मला पुत्री मंगलचन्द हिस्सा 1/10, बनवारीलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/10, राकेश कुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/10 जाति बागडा ब्राहम्ण सा.देह. खातेदार खातेदार 476/3 रकबा 0.4340 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4310 हैक्टेयर हिस्सा रहेगा जो संलग्न नक्शे में गहरे पीले रंग से दर्शाया गया है।
4. गोमा पुत्र श्री कृष्ण हिस्सा 1/6, सीताराम पुत्र श्री कृष्ण हिस्सा 1/6, सीताराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/10, श्री[illegible] /10, मुकेश कुमार पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/60, सुखदेव [illegible] देव[illegible] हिस्सा 1/30, सुरेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/60, हनुमान [illegible] पुत्र देवा हि. 1/30, राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा राधाकिशनपुरा, निमू उ[illegible] निर्मला पुत्री मंगल चन्द हिस्सा 1/60, पन्ना पुत्र कानाराम हि. 1/10 बनवारी पुत्र जगदीश हिस्सा 1/60 मंगलीदेवी पत्नी मंगल चन्द हिस्सा 1/60, मोहन लाल पुत्र कानाराम हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1/10 राकेश कुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/60, श्यामलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/10, जाति बागडा ब्राहम्ण सा.देह खातेदार कुल किता 2 कुल रकबा 0.1600 हैक्टेयर हिस्सा रहेगा जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 01.04.2022 को जारी किया ।

दस्तखत———

ओहदा———

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमि श्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	–

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 163/2017

वाद प्रस्तुति दिनाक : 26.12.2017

1. गोमा पुत्र श्री कृष्ण
2. सीताराम पुत्र श्री कृष्ण

समस्त जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

––– वादीगण

बनाम

1. श्रीनारायण पुत्र कानाराम
2. सीताराम पुत्र कानाराम
3. भगवान सहाय पुत्र देवा (मृतक दौराने वाद)

3/1 मु0 सोनी देवी पत्नी भगवान सहाय

3/2 सुरेश कुमार पुत्र स्व0 भगवान सहाय

3/3 लालचन्द पुत्र स्व0 भगवान सहाय

समस्त जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

3/4 विमला देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी सुरेश कुमार

3/5 मन्नी देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी लालचन्द

समस्त जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम राधापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

3/6 ममता देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी मोहन लाल जाति बागडा ब्रह्मण निवासी प्लॉट नं. ए–8,सन्त बन्धु नगर, अल्का सिनेमा के पास सीकर रोड जयपुर

3/7 हंसा देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी राजकुमार जाति बागडा ब्रह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. श्रीमति भगवती पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद
5. बनवारी पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद
6. राकेश पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

7. श्रीमति ललिता धर्मपत्नी सुरेश पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्रह्मण हाल निवासी प्रताप नगर चौराहा सिन्धू नगर मुरलीपुरा जयपुर।
8. हनुमान सहाय पुत्र देवा
9. सुख देव पुत्र देवा
10. मंगली देवी बेवा मंगलचन्द
11. नीमू उम्र 19 वर्ष पुत्री स्व0 मंगलचन्द
12. पन्ना पुत्र कानाराम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

13. श्यामलाल पुत्र कानाराम
14. मोहन लाल पुत्र कानाराम

समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जयपुर।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा –53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री घीसालाल कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री बाबूलाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

निर्णय दिनांक :– 01.04.2022

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि अराजी खसरा नम्बर 475/483 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 476 रकबा 2.68 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.76 हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 14 रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है वादग्रस्त आराजी ने वादीगण का 1/3 हिस्सा है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 का हैं विवादित भूमि का आजतक कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है बहामी रजामन्दी से हिस्सेनुसार अलग–अलग काश्त करते हैं पक्षकारान् ने अपने–अपने हिस्से की अराजी में रहवास के लिए मकान, पशुओं के लिए टिनशेड वगैरह व पानी के लिए बोंरिग कर रखे है। वादीगण बाहमी रजामंदी से अपने हिस्से में आई काबिज भूमि में डण्डे का निर्माण करवा रहे थे जिसको प्रतिवादीगण ने दिनांक 9.12.2017 को गाली गलौच व झगेडे पर आमादा होकर रूकवा दिया तथा विधवत् बंटवारा कराने से मनाकर दिया। वादीगण वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेघाज्ञा पाबन्ध कराने के अधिकरी है।

अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद–पत्र के मद सं. 1 में वर्णित आराजीयात खसरा 475/583 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 476 रकबा 2.68 हैक्टेयर कुल कि[illegible] कुल रक[illegible] हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर का वादीग[illegible] एवं प्रतिव[illegible] [illegible]14 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जा[illegible] वादीगण के हि[illegible]/3 की कृषि भूमि के खातेदारी एवं लगान अलग से निर्धारित किया जाये तथा वि[illegible]न के बाद वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि में कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा व रूकावट पैदा न करने हेतू प्रतिवादीगण को स्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2, 12 लगायत 14 तथा 3 लगायत 11 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित किया गया है कि राजस्व रिकोर्ड दर्ज हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त होकर उपयोग एवं उपभाग करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानून विभाजन नहीं हुआ है। वादी स्वयं झगडालु किस्म के व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण के बहामी बंटवारे के आधार पर हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में आये दिन व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट ग्राम राधाकिशनपुरा में पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद विभाजन से संबंधित है अतः वाद वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा 475 / 583 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 476 रकबा 2.68 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.76 हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर का मौके पर उभयपक्षो की उपस्थिती में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कर कुरेजात् रिपोर्ट भिजवाये।

उपतहसीलदार मूण्डोता तहसील आमेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक / भूअ / 22 / 03 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने मौखिक आपत्ति जाहिर कर कहाँ कि प्रतिवादी को आगे की ओर (front) पर जमीन कम मिली है तथा वादी को अधिक दी गई है।

कुर्रेजात व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया जिसमें जाहिर होता है कि आपत्तिकर्ता का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार आगे की ओर (front) पर जमीन दी गई है साथ ही कुर्रेजात रिपोर्ट पूर्व में भी प्रतिवादी की आपत्ति पर सुनकर ही पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई है, जिसमें आपत्तिकर्ता के बिन्दुओं को समाहित करते हुए पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार आमेर से मंगवाई गई है। इसलिए आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

Scanned with CamScanner

1. गोमा पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/2 सीताराम पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/2 जाति बागडा ब्रह्मण सा.देह राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा राधाकिशनपुरा मुर्त के हिस्से में खसरा नम्बर 476/1 रकबा 0.8660 हैकटेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.8660 हैक्टेयर रहेगा जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

2. सीताराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/5 श्रीनारायण पुत्र कानाराम हिस्सा 1/5 राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा राधाकिशनपुरा श्यामलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/5 मोहनलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/5 पन्ना पुत्र कानाराम हिस्सा 1/5 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 476/2 रकबा 1.2300 हैक्टेयर व 475/583/1 रकबा 0.0700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.300 हैक्टेयर रहेगा जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

3. मुकेश पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/10 सुरेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/10 हनुमान सहाय पुत्र देवा हिस्सा 1/5 सुखदेव पुत्र देवा हिस्सा 1/5 राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा राधाकिशनपुरा, मुंगली देवी पत्नी मंगल चन्द हिस्सा 1/10, नीमू उर्फ निर्मला पुत्री मंगलचन्द हिस्सा 1/10, बनवारीलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/10, राकेश कुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/10 जाति बागडा ब्राहम्ण सा.देह. खातेदार खातेदार 476/3 रकबा 0.4340 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4310 हैक्टेयर हिस्सा रहेगा जो संलग्न नक्शे में गहरे पीले रंग से दर्शाया गया है।

4. गोमा पुत्र श्री कृष्ण हिस्सा 1/6, सीताराम पुत्र श्री कृष्ण हिस्सा 1/6, सीताराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/10, श्री नारायण पुत्र कानाराम हिस्सा 1/10, मुकेश कुमार पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/60, सुखदेव पुत्र देवा हिस्सा 1/30, सुरेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/60, हनुमान सहाया पुत्र देवा हि. 1/30, राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा राधाकिशनपुरा, निमू उर्फ निर्मला पुत्री मंगल चन्द हिस्सा 1/60, पन्ना पुत्र कानाराम हि. 1/10 बनवारी पुत्र जगदीश हिस्सा 1/60 मंगलीदेवी पत्नी मंगल चन्द हिस्सा 1/60, मोहन लाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/10 राकेश कुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/60, श्यामलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/10, जाति बागडा ब्राहम्ण सा.देह खातेदार कुल किता 2 कुल रकबा 0.1600 हैक्टेयर हिस्सा रहेगा जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से [illegible] जात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। [illegible] पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner